मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन– भोपाल–462004

क्रमांक/ Q1/1/2018 भोपाल, दिनांक: 24/3/18

प्रति,

1– समस्त संभागायुक्त
मध्यप्रदेश,

2– समस्त कलेक्टर्स,
मध्यप्रदेश,

विषयः– **मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना** अंतर्गत कृषक उत्पादकता प्रोत्साहन राशि के लिए ई–उपार्जन के पात्र कृषको के द्वारा मंडियों में "गेहूं" विक्रय करने पर उक्त योजनांतर्गत पात्रता सीमा तक लाभ प्रदान किए जाने संबंधी ।

—00—

1. मध्यप्रदेश के जिन कृषको के द्वारा ई–उपार्जन योजनांतर्गत गेहू विक्रय हेतु पंजीयन कराया गया है, उनको पंजीयन अनुसार उनकी पात्रता सीमा अंतर्गत ई–उपार्जन के अलावा गेहूं विक्रय मण्डी में किए जाने पर पात्रता सीमा तक मुख्यमंत्री कृषक उत्पादकता प्रोत्साहन योजना अंतर्गत रूपये 265 प्रति क्विंटल तक दिये जाने पर शासन स्तर पर विचार किया जा रहा है। उक्त राशि तब भी देय होगी यदि गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य अथवा उससे अधिक दर पर मण्डी में विक्रय किया गया हों।

2. पंजीकृत कृषक उसकी पात्रता सीमा तक दोनो स्थानों पर उपज बेचने के लिए स्वतंत्र रहेगा, अतः वह पात्रता सीमा के अंतर्गत कुछ उपज मात्रा उपार्जन केन्द्र पर तथा शेष उपज अधिसूचित मंडी में बेच सकेगा तथा उसको उपार्जन में विक्रित मात्रा के अलावा मण्डी में विक्रित मात्रा पर उसकी पात्रता सीमा तक उक्त योजना का लाभ दिया जावेगा।

3. इसे लागू करने के लिए मंडियों में निम्नलिखित व्यवस्था की जावें:–

(अ) संबंधित किसानों से उसके :–

(i) ई–उपार्जन का पंजीयन (ii) आधारकार्ड की प्रति (iii) मोबाईल नम्बर अन्य मंडी के दस्तावेज (iv) प्रवेश पर्ची (v) तौल पर्ची (vi) अनुबंध पर्ची (vii) भुगतान पर्ची के साथ प्राप्त किया जायेगा।

(ब) उक्त प्रयोजन हेतु क्रय पोर्टल पर उसी किसान के ई–उर्पाजन रजिस्ट्रेशन नम्बर पर दर्ज की जायेगी। राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन.आई.सी.) इसके लिये आवश्यक साफ्टवेयर तैयार कर दिनांक 26.03.2018 से पूर्व प्रदेश के समस्त मंडियो में उपलब्ध कराएगा। उक्त रजिस्ट्रेशन में किसान की जानकारी के साथ–साथ निम्नलिखित जानकारियॉं दर्ज होगी।

(i) मण्डी प्रवेश पर्ची क्रमांक, विक्रय दिनांक
(ii) अनुबंध क्रमांक एवं विक्रय मात्रा तथा विक्रय दर
(iii) तौल पर्ची क्रमांक एवं तौल मात्रा
(iv) भुगतान पर्ची क्रमांक तथा कुल भुगतान राशि

ई–उपार्जन में पंजीकृत किसान द्वारा **26 मार्च से 26 मई तक की अवधि में ही मण्डियों में पात्रता की सीमा तक गेहू का विक्रय करने पर ही मुख्यमंत्री कृषक उत्पादकता प्रोत्साहन राशि प्रदाय योग्य होगी।**

4. अतः कृषको को अवगत कराना होगा कि यदि वह उक्त योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है तो इसी अवधि में मंडियो में भी उपार्जन केन्द्र के साथ–साथ उपज विक्रय कर सकते है। उक्त योजना का पर्याप्त प्रचार–प्रसार करा जावे तथा मंडियों में सूचना संबंधी पोस्टर/फ्लेक्स/बैनर इत्यादि भी लगाये जावें।

प्रमुख सचिव 24/5
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

क्रमांक/ 91/1/2018 भोपाल, दिनांकः

प्रतिलिपि –

1. विशेष कर्तव्य अधिकारी माननीय मंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास की ओर सूचनार्थ।
2. विशेष कर्तव्य अधिकारी माननीय राज्य मंत्री किसान कल्याण तथा कृषि विकास की ओर सूचनार्थ।
3. विशेष कर्तव्य अधिकारी, मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सहकारिता विभाग, म.प्र. शासन भोपाल सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, भोपाल सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. आयुक्त, सहाकारिता एवं पंजीयक, विन्धांचल भवन भोपाल सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल की ओर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अग्रेषित।
9. एस.आई.ओ. (राष्ट्रीय सूचना केन्द्र–एन.आई.सी.), भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अग्रेषित।
10. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, संचालनालय, भोपाल सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. समस्त संयुक्त संचालक,किसान कल्याण तथा कृषि विकास संभाग कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. समस्त उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. समस्त कृषि उपज मण्डी समितियों के सचिव की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रमुख सचिव 24/5
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग